न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
97 / 2019	19.12.2019	14.02.2022

अनवान

1. बालुराम पिता झमक लाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. चम्पा लाल पिता झमक लाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. मु0 गंगा विधवा रामेश्वर लाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. घनश्याम पिता रामेश्वर लाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. कैलाशचन्द्र पिता रामेश्वर लाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. द्वारका प्रसाद पिता रामेश्वरलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन लाल पिता लछमण चमार आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भैरूलाल पिता सवाईराम चमार आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. काली पत्नि गोटू चमार आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. काली पत्नी सुरेश चमार आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. सोहन पिता नाथु चमार आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
6. बालु पिता कजोड़ भील आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. गोपी पिता कजोड भील आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. शंकर पिता भुवाना भील आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. उदा पिता गंगाराम जाति भील आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. बद्री पिता लछमण जाति भील आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.04.25 11:08:14 IST
Reason: SelfAttested

11. बैणा पिता उंकार जाति भील आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. बाबू पिता मेघा जाति चमार आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. मांगू पिता बगदीराम चमार आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. उदा पिता कजोड भील आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. गणेश पिता उदा भील आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. देवजी पिता गोकल जाति तेली आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. मांगु पिता देवजी जाति तेली आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. गोदू पिता उंकार जाति भील निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. मांगु पिता हरलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. उदा पिता गंगाराम जाति भील आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
21. भूपेश पिता मनोहर लाल जाति मारू आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
22. कालु पिता प्यारा भील निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
23. कालु पिता हिरा भील आयु वयस्क निवासी इन्द्रानगर मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री हरिश तुल्छिया — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मुंगाना पटवार [illegible] मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत 2074–20[illegible] के [illegible] संख्या 408 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 196, 197, [illegible] 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 240, 332, 333, 334, 335, 336, तथा खाता संख्या 409 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1567 कृषि भूमि [illegible]र्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.04.25 11:02:14 IST
Reason: SelfAttested

की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 6 से 23 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध वकील प्रार्थी ने कार्यवाही नही चाही जिससे कार्यवाही ड्राप की जाकर नाम विलोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से आज दिनांक 14.02.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 408 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 196, 197, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 240, 332, 333, 334, 335, 336, तथा खाता संख्या 409 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1567 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.04.25 11:08:14 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official